10

**GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)**
**MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)**
**(RAILWAY BOARD)**
****

No. 2013/TG-I/20/P/VAT New Delhi, Dated: 05 .02.2018

**The Principal Chief Commercial Managers,**
**All Zonal Railways.**

**(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 09 OF 2018)**

**Sub: Policy on earmarking of berths on demand from IRCTC for value added tour packages.**
*****

Please refer to this office letter of even number dated 06.05.2016 (CC No. 23 of 2016 and corrigendum thereon) forwarding therewith detailed features of the policy on earmarking of berths on demand from IRCTC for Value Added Tour (VAT) packages.

2. The matter has been reviewed and it has been decided to amend following provisions of the scheme.

| Para No. | Existing Provision | Revised Provision |
|---|---|---|
| 2.1 | For each berth utilized by IRCTC, IRCTC shall pay the full fare plus 25% service charge. No concession whatsoever shall be admissible on such tour package ticket. Ticket for child, senior citizens, etc. shall also be issued on full fare. The method of arriving at the fare including the service charge and deposit is illustrated in the annexure. | For each berth utilized by IRCTC, IRCTC shall pay the full fare plus 15% service charge. No concession whatsoever shall be admissible on such tour package ticket. Ticket for child, senior citizens, etc. shall also be issued on full fare. |
| 3.1 | Out of total berths earmarked for this purpose for IRCTC, not more than 20% of the earmarked berths shall be permitted for cancellation. No cancellation shall be permitted within 48 hours of the scheduled departure of the train. | No cancellation shall be permitted within 48 hours of the scheduled departure of the train. |

-2-

3. The revised provisions mentioned above will be implemented for a period of one year during which a quarterly assessment will be made on financial impact on Indian Railways revenue and if required the review of policy will be undertaken.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of this Ministry. These instructions will take effect from the date of issue of this letter.

5. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

**(Shelly Srivastava)**
**Director Passenger Marketing**
**Railway Board**

No. 2013/TG-I/20/P/VAT

New Delhi, Dated: 05.02.2018

Copy forwarded to:

FA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

5/2/18

for Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-I
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central Railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road,Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation ( AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

****

सं.2013/टीजी-I/20/पी/वीएटी

नई दिल्ली, दिनांक: 05.02.2018

**प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,**
**सभी क्षेत्रीय रेलें।**

## (2018 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 09)

**विषय: वैल्यू ऐडेड टूर पैकेज के लिए आईआरसीटीसी की मांग पर सीटें निर्धारित करने संबंधी नीति।**

****

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 06.05.2016 के समसंख्यक पत्र (2016 का सीसी सं. 23 और इसका शुद्धिपत्र) का अवलोकन करें, जिसके साथ वैल्यू ऐडड टूर (वीएटी) पैकेज के लिए आईआरसीटीसी की मांग पर सीटें निर्धारित करने संबंधी नीति की विस्तृत विशेषताएँ अग्रेषित की गई है।

2. इस मामले की समीक्षा की गई है और योजना के निम्नलिखित प्रावधानों को संशोधित करना विनिश्चय किया गया है।

| पैरा सं. | मौजूदा प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 2.1 | आईआरसीटीसी द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक बर्थ के लिए, आईआरसीटीसी पूरे किराए + 25% सेवा प्रभार का भुगतान करेगा। इस टूर पैकेज टिकट पर किसी भी प्रकार की रियायत स्वीकार्य नहीं होगी। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों आदि के लिए भी पूरे किराए पर टिकट जारी की जाएगी। सेवा प्रभार सहित किराया तय करने और जमा करने की पद्धति की व्याख्या अनुबंध में दी गई है. | आईआरसीटीसी द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक बर्थ के लिए, आईआरसीटीसी पूरे किराए + 15% सेवा प्रभार का भुगतान करेगा। इस टूर पैकेज टिकट पर किसी भी प्रकार की रियायत स्वीकार्य नहीं होगी। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, आदि के लिए भी पूरे किराए पर टिकट जारी की जाएगी। |
| 3.1 | आईआरसीटीसी को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कुल बर्थों में से, 20% से अधिक बर्थों को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के 48 घंटों के भीतर किसी रद्दकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। | गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के 48 घंटों के भीतर किसी रद्दकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। |

3. उक्त उल्लिखित संशोधित प्रावधान एक वर्ष की अवधि के लिए लागू किए जाएंगे, जिसके दौरान भारतीय रेल राजस्व पर इसके वित्तीय प्रभाव का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यक होने पर, नीति की समीक्षा की जाएगी।

4. इसे इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है। ये अनुदेश इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

-2/-

तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2013/टीजी-I/20/पी/वीएटी

नई दिल्ली, दिनांक: 05.02.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

**वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें**
**निदेशक (लेखापरीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें**

कृते, वित्त आयुक्त, रेलवे

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. का नि सतर्कता(टी), का नि एफ (सी), निदेशक सतर्कता (टी), पीपीएस/एफसी, वि का अधिकारी/टी सी, एफ (सी) तथा सतर्कता (एस एस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी 148, 11 वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-226011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड